अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना

पी.ई.पी.टी. 2011 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर बी.ई./बी. फार्मेसी/डी. फार्मेसी/पी.पी.टी. 2011 प्रवेश परीक्षा के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं NATA-2011 प्रवेश परीक्षा के आधार पर बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत प्रवेश के चांस लेने हेतु

ऑनलाइन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2011–12

व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी.–2011 के घोषित परिणामों के आधार पर प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में बी.ई./फार्मेसी संस्थानों में बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी तथा पी.पी.टी.–2011 के घोषित परिणामों के आधार पर पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा प्रवेश परीक्षा **NATA** के आधार पर बी.आर्किटेक्चर (**NATA** व अर्हकारी परीक्षा के 50 प्रतिशत अंकों के आधार पर तैयार मेरिट अनुसार) पाठ्यक्रम में **''शिक्षण शुल्क छूट योजना''** के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक मध्यप्रदेश के मूलनिवासी उम्मीदवार निम्नलिखित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/गाँव/शहर से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों, सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची (जोकि मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

ऐसे समस्त उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हैं तथा जिन्होंने पीईपीटी–2011/पीपीटी–2011 प्रवेश परीक्षा में शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तथा बी.आर्क. पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश परीक्षा NATA-2011 में सम्मिलित हुए हों तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.5 लाख से कम है; उन्हें निम्नलिखित सारणी अनुसार काउंसलिंग में सम्मिलित होना होगा :–

//समय–सारणी//

क्र.	प्रक्रिया	पाठ्यक्रम के नाम एवं निर्धारित तिथियां			
		बी.ई. (पीईपीटी–2011 आधारित)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम ** (पीपीटी–2011 आधारित)	बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी (पीईपीटी–2011 आधारित)	बी.आर्क. (नाटा–2011 आधारित)
1.	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)	28/06/2011 से 10/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	29/06/2011 से 12/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	30/06/2011 से 11/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	07/07/2011 से 12/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक
2.	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)	28/06/2011 से 10/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	29/06/2011 से 12/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	30/06/2011 से 11/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	07/07/2011 से 12/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)
3.	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (Online Preference Selection, Choice Filling and Locking)	04/07/2011 से 10/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	06/07/2011 से 12/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	05/07/2011 से 11/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	07/07/2011 से 12/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक
4.	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता (Online availability of Allotment Letter	13/07/2011 से 18/07/2011 तक	15/07/2011 से 20/07/2011 तक	14/07/2011 से 18/07/2011 तक	16/07/2011 से 20/07/2011 तक
5.	आवंटित संस्था में उपस्थिति (Reporting at Allotted Institution)	13/07/2011 से 18/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	15/07/2011 से 20/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	14/07/2011 से 18/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	16/07/2011 से 20/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)

नोटः– डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट योजनान्तर्गत इस काउंसलिंग में प्रवेश का चांस लेने हेतु **पीपीटी–2011 की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत आवेदन किया था तथा पीपीटी–2011 की परीक्षा में 57 या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, सम्मिलित हो सकेंगे।

नोट :–

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये ₹ 280/– (₹ 30/– पोर्टल शुल्क सहित), तथा ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु देय काउंसलिंग शुल्क हेतु ₹ 100/– पोर्टल शुल्क देय होगा। उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन–रिफण्डेबल) होंगे।

- ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत **सहायता केन्द्रों (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) से कराना है जिसकी सूची वेबसाइट वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

- **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।

- **इस योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को पूरे पाठ्यक्रम के दौरान अपनी संस्था एवं ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी तथा प्रवेशित अभ्यर्थी को संबंधित पाठ्यक्रम के लिये आयोजित अन्य किसी भी काउंसलिंग में आवंटन नहीं किया जावेगा।**

- यह काउंसलिंग प्रक्रिया केवल शिक्षण शुल्क छूट योजना की सीटों पर प्रवेश के लिए है। इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित की गई हो, रियायत दी जावेगी। तथापि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये काउंसलिंग का विज्ञापन अलग से जारी किया जावेगा।

सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश